विजय मिश्रा
अधिवक्ता

ADVOCATE

पत्राचार का पता :-
फ्लैट नं. MIG-608,ब्लाक नं. 4, जी+10
हिमालयन हाईट्स हाऊसिंग बोड कालोनी,
डूमरतराई, थोक सब्जी मंडी के सामने
पोस्ट-माना कैम्प, जिला-रायपुर (छ.ग.)

संपर्क मोबाईल :- 98271-81044, 94241-19255, Email :-vijaymishra98271@gmail.com

प्रति,

ऋचा शर्मा
अपर मुख्य सचिव
वन विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर।

विषय :- शिकायत श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा छ.ग. में वन रक्षकों के 1628 पदों पर भर्ती में भ्रष्टाचार करने एवं श्रीराव के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज कराकर भारतीय न्याय संहित के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही हेतु।

यह कि आपको विदित हो कि राज्य में वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड) की भर्ती हेतु लगभग 1500 पदों पर नवम्बर 2024 से दिसम्बर 2024 के बीच फीजिकल टेस्ट विभिन्न वन मंडलों में किया गया। कुल लगभ 4 लाख 25 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। भर्ती हेतु शारीरिक परीक्षण हेतु डीएफओ बालोद, सरगुजा, महासमुंद, जशपुर, कांकेर, रायगढ़, कोरिया, बीजापुर, कवर्धा, राजनांदगांव,कोंडागांव, जगदलपुर,रायपुर,धमतरी, बिलासपुर एवं कोरबा द्वारा लिया गया, जो 16 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 17 दिसम्बर 2024 तक वनमंडल वार अलग-अलग तिथियों में संपन्न की गई।

2. यह कि राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1-53/2003/10-1/वन, नवा रायपुर दिनांक 21.05.2024 द्वारा वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी की गई थी, जिसके अनुसार फिजिकल टेस्ट 200 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, लंबी कूद (03 प्रयास), गोला फेंक (03 प्रयास) हेतु अंक निर्धारित किए गए थे। इस आदेश में यह स्पष्ट लिखा था कि शारीरिक क्षमता परीक्षा सुर्योदय से सुर्यास्त के बीच पर्याप्त रोशनी में कराई जायेगी। रात या कृत्रिम प्रकाश में नहीं किंतु कुछ जिलों में कृत्रिम प्रकाश में भी यह कार्यवाही की गई।

3. यह कि फिजिकल टेस्ट के लिए एजेंसी चयन बाबत् निविदा की शर्तें राज्य शासन द्वारा जारी की गई थी जिसके शर्त क्रमांक 04 (एच) यह स्पष्ट लेख है कि लंबी कूद, गोला फेंक सहित समस्त अन्य टेस्ट की माप मशीनों द्वारा ली जावेगी, लंबी कूद व गोला फेंक के तीनों प्रयासों का माप

क्रमांक 14/01/2025
अ.मु.स. / वन एवं ज.प.वि.
/202
दिनांक .... / ....

मशीन द्वारा ही ली जावेगी साथ ही सभी टेस्ट की विडियो रिकार्डिंग की जायेगी, जिसको प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत किया जाना होगा।

4. यह कि निविदा पश्चात टायमिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड माधापुर को यह कार्य सौंपा गया। इस हेतु 224 रुपये प्रत उम्मीदवार की दर से तय की गई।

5. यह कि 16 नवंबर 2024 को जब बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं रायगढ़ में जब फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत हुए तो एजेंसी के द्वारा एन केन्द्रों में मशीनें उपलब्ध नही करायी गई तथा कई मशीने सही ढंग से कार्य करते नही पायी गई। इस कारण इन केन्द्रो में भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई। कई डीएफओ ने इस संबंध में पत्र लिखकर मुख्यालय सूचित किया । रायगढ़ डीएफओ ने अपने पत्र दिनांक 17.11.2024 से सीसीएफ बिलासपुर को लिखा की 16.11.2024 को 2500 उम्मीदवारों की माप आदि की जानी थी। सुबह 6 बजे से किंतु सुबह 9 बजे तक मशीने चालू नही हो पायी। बार-बार मशीनों के खराब होने से रात 11 बजे तक लगभग 250 लोगों की ही माप हो सकी। इसी प्रकार 17 नवंबर को भी मशीने रुकी, काम नही करने की भी जानकारी दी गई। कई डीएफओ ने इस तरह का पत्र मुख्यालय व अपने सीनियर को पत्र लिखा तथा मेन्यूल नापजोख की अनुमति मांगी।

6. डीएफओ रायगढ़ के पत्र से स्पष्ट है कि रात में भी नापजोख की कार्यवाही की गई, इसी प्रकार बीजापुर व अन्य जगहों में भी नापजोख की जानकारी प्राप्त हो रही है।

7. यह कि उल्लेखनीय है कि इस एजेंसी के द्वारा पुलिस भर्ती के नापजोख गलत किये जाने के कारण पुलिस भर्ती में भी प्रश्नचिनह लगा है तथा निरस्त भी की गई है।

8. यह कि जब कभी वनमंडलों से यह शिकायत आने लगी कि एजेंसी के द्वारा बहुत कम व खराब मशीनें लगाई गई है एवं उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं तो विभाग के द्वारा यह कहा गया कि मेनुअल मापजोख किया जावे,जो नियमों के अनुसार नही है। ज्ञात हुआ है कि जब सभी डीएफओ ने इस हेतु लिखित अनुमति के लिए दबाव डाला तो विभाग ने एक समिति गठित कराकर रात के कृत्रिम प्रकाश में नापजोख करने तथा मेनुअल पद्धति से नाप करने की अनुशंसा प्राप्त कर सभी डीएफओ को दिनांक 21.11.2024 को पत्र लिखकर कार्यवाही हेतु आदेश जारी कर दिया गया। विभाग द्वारा एजेंसी को ज्यादा मशीने एवं सही मशीने लगाने हेतु बाध्य किया जाना था, ऐसा ना कर एजेंसी की मदद करने हेतु शासन के बनाये नियम को ही बदल दिया गया, उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा जारी आदेश 21.11.2024 को हुआ उसके पश्चात कुछ वनमंडलाधिकारियों द्वारा 25.11.2024 को पत्र जारी कर मेनुअल कराये जाने हेतु अनुमति मांगा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वन मुख्यालय द्वारा 21 तारीख को जारी पत्र पिछले तारीख से जारी किया गया , यह अपराधिक श्रेणी के षडयंत्र में आता है।

9. यह कि टेंडर की शर्त क्रमांक 3 में स्पष्ट लेख था कि सभी केन्द्रों पर लगभग 40 से 50 हजार उम्मीदवार आयेंगे। जिनका 10 से 15 दिन में नापजोख पूरा किया जाना है। इस पूर्व सूचना के कारण एजेंसी को सही समय पर पर्याप्त मशीने लगानी थी किंतु ऐसा नही किया गया । विभाग के द्वारा इस कारण नियम विरुद्ध नापजोख किया गया तथा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई।

10. यह कि टेंडर की शर्त क्रमांक 25 में यह था कि कार्य की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए लेकिन एजेंसी द्वारा मशीनो को संचालित करने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग लिया गया (रखा गया) यह भी जांच का विषय है।

11. एजेंसी को इस कार्य हेतु लगभग 10 करोड़ का भुगतान किया जाना है, जबकि एजेंसी ने बहुत गैर जिम्मेदारी की है और पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित किया है।

मांगः- शिकायत कर्ता छ.ग. का जिम्मेदार नागरिक है और अधिवक्ता भी है। अगर राज्य में किसी तरह की युवाओं के साथ अन्याय तथा छ.ग. के निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का छल किया जाता है तो मेरा यह नैतिक दायित्व होता कि उचित मंच पर इन सभी गड़बड़ियों का उजागर करुं। उल्लेखनीय है कि श्री निवासराव साहाब अपने संबंधों को यदाकदा पब्लिक डोमेन में लाते हैं और बोलते हैं मैं भाजपा कार्यालय महामंत्री बी.एल.संतोष जी का करीबी हूँ। इस विषय पर भी जांच की आवश्यकता है जहॉ तक मुझे ज्ञात है श्री बी.एल. संतोष शानदार संगठक एवं बेहद ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनके नाम को भी इस तरीके से किए गये गलत कार्यों में सम्मिलित करना सर्वथा आपत्तिजनक है। आवेदक यह मांग करता है कि इस शिकायत पर निष्पक्ष एजेंसियों से जांच कराया जाय अन्यथा आवेदक माननीय न्यायलय के शरण में जाने के लिए बाध्य होगा। इसे विधिक सूचना भी जाने।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

विजय मिश्रा

विजय मिश्रा
(अधिवक्ता)

प्रति,
श्री अमिताभ जैन साहब
मुख्य सचिव छत्तीसगढ़.

12.1.2025

विजय मिश्रा
अधिवक्ता

ADVOCATE

पत्राचार का पता :-
फ्लैट नं. MIG-608,ब्लाक नं. 4, जी+10
हिमालयन हाईट्स हाऊसिंग बोड कालोनी,
डूमरतराई, थोक सब्जी मंडी के सामने
पोस्ट-माना कैम्प, जिला-रायपुर (छ.ग.)

संपर्क मोबाईल :- 98271-81044, 94241-19255, Email :-vijaymishra98271@gmail.com

प्रति,

मुख्य सतर्कता आयुक्त
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय :- शिकायत श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा छ.ग. में वन रक्षकों के 1628 पदों पर भर्ती में भ्रष्टाचार करने एवं श्रीराव के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज कराकर भारतीय न्याय संहित के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही हेतु।

यह कि आपको विदित हो कि राज्य में वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड) की भर्ती हेतु लगभग 1500 पदों पर नवम्बर 2024 से दिसम्बर 2024 के बीच फीजिकल टेस्ट विभिन्न वन मंडलों में किया गया। कुल लगभ 4 लाख 25 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। भर्ती हेतु शारीरिक परीक्षण हेतु डीएफओ बालोद, सरगुजा, महासमुंद, जशपुर, कांकेर, रायगढ़, कोरिया, बीजापुर, कवर्धा, राजनांदगांव,कोंडागांव, जगदलपुर,रायपुर,धमतरी, बिलासपुर एवं कोरबा द्वारा लिया गया, जो 16 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 17 दिसम्बर 2024 तक वनमंडल वार अलग-अलग तिथियों में संपन्न की गई।

2. यह कि राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1-53/2003/10-1/वन, नवा रायपुर दिनांक 21.05.2024 द्वारा वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी की गई थी, जिसके अनुसार फिजिकल टेस्ट 200 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, लंबी कूद (03 प्रयास), गोला फेंक (03 प्रयास) हेतु अंक निर्धारित किए गए थे। इस आदेश में यह स्पष्ट लिखा था कि शारीरिक क्षमता परीक्षा सुर्योदय से सुर्यास्त के बीच पर्याप्त रोशनी में कराई जायेगी। रात या कृत्रिम प्रकाश में नहीं किंतु कुछ जिलों में कृत्रिम प्रकाश में भी यह कार्यवाही की गई।

3. यह कि फिजिकल टेस्ट के लिए एजेंसी चयन बाबत् निविदा की शर्तें राज्य शासन द्वारा जारी की गई थी जिसके शर्त क्रमांक 04 (एच) यह स्पष्ट लेख है कि लंबी कूद, गोला फेंक सहित समस्त अन्य टेस्ट की माप मशीनों द्वारा ली जावेगी, लंबी कूद व गोला फेंक के तीनों प्रयासों का माप

विजय मिश्रा

विजय मिश्रा
अधिवक्ता

ADVOCATE

पत्राचार का पता :-
फ्लैट नं. MIG-608,ब्लाक नं. 4, जी+10
हिमालयन हाईट्स हाऊसिंग बोड कालोनी,
डूमरतराई, थोक सब्जी मंडी के सामने
पोस्ट-माना कैम्प, जिला-रायपुर (छ.ग.)

संपर्क मोबाईल :- 98271-81044, 94241-19255, Email :-vijaymishra98271@gmail.com

प्रति,

श्री अमिताभ जैन
मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर।

CHIEF SECRETARY OFFICE
Mantralaya, Nava Raipur, Atal Nagar
42
14/1/2025

विषय :- शिकायत श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा छ.ग. में वन रक्षकों के 1628 पदों पर भर्ती में भ्रष्टाचार करने एवं श्रीराव के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज कराकर भारतीय न्याय संहित के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही हेतु।

यह कि आपको विदित हो कि राज्य में वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड) की भर्ती हेतु लगभग 1500 पदों पर नवम्बर 2024 से दिसम्बर 2024 के बीच फीजिकल टेस्ट विभिन्न वन मंडलों में किया गया। कुल लगभ 4 लाख 25 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। भर्ती हेतु शारीरिक परीक्षण हेतु डीएफओ बालोद, सरगुजा, महासमुंद, जशपुर, कांकेर, रायगढ़, कोरिया, बीजापुर, कवर्धा, राजनांदगांव,कोंडागांव, जगदलपुर,रायपुर,धमतरी, बिलासपुर एवं कोरबा द्वारा लिया गया, जो 16 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 17 दिसम्बर 2024 तक वनमंडल वार अलग-अलग तिथियों में संपन्न की गई।

2. यह कि राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1-53/2003/10-1/वन, नवा रायपुर दिनांक 21.05.2024 द्वारा वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी की गई थी, जिसके अनुसार फिजिकल टेस्ट 200 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, लंबी कूद (03 प्रयास), गोला फेंक (03 प्रयास) हेतु अंक निर्धारित किए गए थे। इस आदेश में यह स्पष्ट लिखा था कि शारीरिक क्षमता परीक्षा सुर्योदय से सुर्यास्त के बीच पर्याप्त रोशनी में कराई जायेगी। रात या कृत्रिम प्रकाश में नहीं किंतु कुछ जिलों में कृत्रिम प्रकाश में भी यह कार्यवाही की गई।

3. यह कि फिजिकल टेस्ट के लिए एजेंसी चयन बाबत् निविदा की शर्तें राज्य शासन द्वारा जारी की गई थी जिसके शर्त क्रमांक 04 (एच) यह स्पष्ट लेख है कि लंबी कूद, गोला फेंक सहित समस्त अन्य टेस्ट की माप मशीनों द्वारा ली जावेगी, लंबी कूद व गोला फेंक के तीनों प्रयासों का माप

विजय मिश्रा

विजय मिश्रा
अधिवक्ता

ADVOCATE

पत्राचार का पता :-
फ्लैट नं. MIG-608,ब्लाक नं. 4, जी+10
हिमालयन हाईट्स हाऊसिंग बोड कालोनी,
डूमरतराई, थोक सब्जी मंडी के सामने
पोस्ट-माना कैम्प, जिला-रायपुर (छ.ग.)

संपर्क मोबाईल :- 98271-81044, 94241-19255, Email :-vijaymishra98271@gmail.com

प्रति,

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय :- शिकायत श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा छ.ग. में वन रक्षकों के 1628 पदों पर भर्ती में भ्रष्टाचार करने एवं श्रीराव के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज कराकर भारतीय न्याय संहित के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही हेतु।

यह कि आपको विदित हो कि राज्य में वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड) की भर्ती हेतु लगभग 1500 पदों पर नवम्बर 2024 से दिसम्बर 2024 के बीच फीजिकल टेस्ट विभिन्न वन मंडलों में किया गया। कुल लगभ 4 लाख 25 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। भर्ती हेतु शारीरिक परीक्षण हेतु डीएफओ बालोद, सरगुजा, महासमुंद, जशपुर, कांकेर, रायगढ़, कोरिया, बीजापुर, कवर्धा, राजनांदगांव,कोंडागांव, जगदलपुर,रायपुर,धमतरी, बिलासपुर एवं कोरबा द्वारा लिया गया, जो 16 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 17 दिसम्बर 2024 तक वनमंडल वार अलग-अलग तिथियों में संपन्न की गई।

2. यह कि राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1-53/2003/10-1/वन, नवा रायपुर दिनांक 21.05.2024 द्वारा वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी की गई थी, जिसके अनुसार फिजिकल टेस्ट 200 मी. दौड़, 800 मी. दौड़, लंबी कूद (03 प्रयास), गोला फेंक (03 प्रयास) हेतु अंक निर्धारित किए गए थे। इस आदेश में यह स्पष्ट लिखा था कि शारीरिक क्षमता परीक्षा सुर्योदय से सुर्यास्त के बीच पर्याप्त रोशनी में कराई जायेगी। रात या कृत्रिम प्रकाश में नहीं किंतु कुछ जिलों में कृत्रिम प्रकाश में भी यह कार्यवाही की गई।

3. यह कि फिजिकल टेस्ट के लिए एजेंसी चयन बाबत् निविदा की शर्तें राज्य शासन द्वारा जारी की गई थी जिसके शर्त क्रमांक 04 (एच) यह स्पष्ट लेख है कि लंबी कूद, गोला फेंक सहित समस्त अन्य टेस्ट की माप मशीनों द्वारा ली जावेगी, लंबी कूद व गोला फेंक के तीनों प्रयासों का माप

विजय मिश्रा